

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2017—श्रावण 5, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. एफ 1-03-2017-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में, निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. उक्त नियमों में,—

(1) “विद्यमान शीर्षक “पच्चीस—आदिमजाति कल्याण विभाग” के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“पच्चीस—जनजातीय कार्य विभाग.”

2. अनुसूची में,—

(2) विद्यमान शीर्षक “पच्चीस—आदिम जाति कल्याण विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक तथा उससे प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“पच्चीस—जनजातीय कार्य विभाग.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्र. एफ 1-03-2017-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-03-2017-एक-(1), दिनांक 27 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th July 2017

No. F-1-03-2017-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

1. In the said rules,—

- (1) for the existing heading “XXV. Tribal Welfare Department”, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“XXV. Tribal Affairs Department.”

2. In the Schedule,—

- (2) For the existing heading “XXV. Tribal Welfare Department”, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“XXV. TRIBAL AFFAIRS DEPARTMENT.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.